

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

प्रपत्र XVII

अधिनियम की धारा-93(1) के अंतर्गत वापसी अधिसूचना  
समाहर्ता (समुचित सरकार 5000 हेक्टेयर)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-93 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित सरकार अर्जनाधीन भूमि से अंश भूमि को अर्जन को वापस लिया जाता है। अर्जनाधीन कुल भूमि रकवा-1.19 एकड़ में से अंश रकवा- 0.10 एकड़ भूमि (जो दरुआ-बीयर नहर में पूर्व से अर्जित है) जो ग्राम-शंकरी, थाना-जसीडीह, थाना सं०-229, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में अवस्थित है, जिसे अधिघोषणा सं०-329/भू अं०, दिनांक-13.05.17 एवं देवघर जिला के गजट सं०-31 दिनांक-06.06.17 पृष्ठ सं०-1 से 3 तक में तथा दो दैनिक समाचार पत्रों- प्रभात खबर, देवघर एवं हिन्दुस्तान, धनबाद में दिनांक-16.05.17 को प्रकाशित कर अधिग्रहित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैं :-

### भूमि एवं सीमा का विवरण

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	35	36	रैयती	बाड़ी -2	0.10	सुकदेव महारा पे० भगलु महारा वो लक्ष्मण दास वो महादेव महारा पे० मोहन महारा वो नुनुवति देवी पे० छोटी महारा वो नकुल दास वो सहदेव दास वो भीम दास वो अर्जुन दास वो पाण्डव दास पे० बेजन महारा वो चुरामन महारा पे० झुमक महारा वो गणेश दास वो भरत दास वो बंधु दास वो अन्धु दास पे० घुटु महारा वो मिसरी महारा वो गेन्हारी महारा पे० लाली महारा वो रोहित दास पे० ठाकुर दास वो विश्वनाथ महारा वो नबुदास पे० गोवर्धन महारा।	मौजा- नैयाडी ह थाना सं०- 230	अंश मौजा- शंकरी, थाना सं०- 229	अंश दाग सं०-2 ,4,10,5 0 एवं अन्य	मौजा- देव पुर, थाना सं०- 227

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक .....621...../ भू अ0, देवघर, दिनांक 31.8.2017

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
29/8/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।